



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 13 अक्टूबर, 2020

आश्विन 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1154/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ०प्र० जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(150)-2020

लखनऊ, 13 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-262

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पेंतालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पेंतालीसवाँ संशोधन) संक्षिप्त नाम और  
नियमावली, 2020 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह तारीख 1 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली नियम 67क का  
कहा गया है) में, नियम 67क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :- संशोधन

“67क-लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी या जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रबन्ध-इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, एस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिये जिसे धारा 39 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में किसी कर अवधि की ‘शून्य’ विवरणी

भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में किसी कर अवधि का जावक पूर्तियों का ब्यौरा शून्य हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणियाँ या जावक पूर्तियों का ब्यौरा को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी सम्मिलित होगी और उक्त विवरणी या जावक पूर्तियों के ब्यौरे का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' द्वारा किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण :-** इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी या शून्य जावक पूर्तियों के ब्यौरे का तात्पर्य, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई ऐसी विवरणी है या धारा 37 के अधीन कोई ऐसी जावक पूर्तियों का ब्यौरा है, जिसमें प्ररूप जीएसटीआर-3ख या प्ररूप जीएसटीआर-1 की समस्त सारणियों में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि न हो, जैसी भी स्थिति हो।''

आज्ञा से,  
आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव।

-----

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1154/XI-2-20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(150)-2020, dated October 13, 2020 :

No. 1154/XI-2-20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(150)-2020

*Dated Lucknow, October 13, 2020*

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (FOURTY FIFTH AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fourty fifth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1<sup>st</sup> July, 2020.

Amendment of rule 67A

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for the rule 67A, the following rule shall be substituted, namely :-

"67A. Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility :- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in FORM GSTR-3B or a Nil details of outward supplies under section 37 in FORM GSTR-1 for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said

return or the details of outward supplies through a short messaging service using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

*Explanation* :- For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in FORM GSTR-3B or FORM GSTR-1, as the case may be."

By order,  
ALOK SINHA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 318 राजपत्र-2020-(770)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।  
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 47 सा0 राज्य कर-2020-(771)-1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।